

## कार्यालय नगर निगम सहारनपुर।

### सहारनपुर नगर निगम सम्पत्ति अनुभाग ई-निविदा

पत्रांक: 459/सम्प0अनु0/न0नि0सहा0/2023-24

दिनांक: 20/02/2024

सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है, कि वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु टेका पशु मण्डी कमेला रोड सहारनपुर हेतु ई-निविदा आमन्त्रित की जा रही है, ऑफरदाता ऑनलाईन टैण्डर प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं-

क्र०सं०	पत्रा० सं०	टेके का नाम	जमानत राशि	वर्ष 2023-24 में जमा धनराशि मय माल एवं सेवाकर (जी०एस०टी०)	न्यूनतम ऑफर(मय जी०एस०टी०) वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु। वार्षिक
1	2	3	4	5	6
1	NZ4	टेका पशु मण्डी कमेला रोड	10 लाख	73,00,000/-	73,00,000/-

नोट 1- प्रत्येक टेके के निमित्त आधार कार्ड, पैन कार्ड, जी०एस०टी० रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, जमानत राशि की एफ०डी०आर०, चरित्र प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार के 02 फोटो एक शपथ पत्र जिस पर निविदादाता को फोटो लगा होगा तथा यह तथ्य अंकित होगा कि उपरोक्त समस्त प्रपत्र उसके द्वारा हस्ताक्षरित कर दिये हैं, तथा वह उत्तर प्रदेश के किसी भी संस्था/निगम का बकायेदार नहीं है, और कभी भी ब्लैक लिस्टेड नहीं हुआ है। निविदा के साथ संलग्न करने होंगे।

2- टेके से संबंधित सभी शर्तें सम्पत्ति अनुभाग में देखी/पढ़ी जा सकती है, व सूचना व शर्तें नगर निगम की वेबसाइट [www.saharanpurnagarnigam.com](http://www.saharanpurnagarnigam.com) पर भी उपलब्ध है।

3- टेका बिना कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम सहारनपुर में निहित होगा।

4- जिन टेकेदारों द्वारा गत वर्षों के टेके की समस्त धनराशि नगर निगम कोष में जमा नहीं करायी गयी है, उनका ऑफर मान्य नहीं होगा, तथा जिन टेकेदारों को नगर निगम द्वारा डिफाल्टर घोषित/ब्लैकलिस्टेड किया हुआ है, वह भी नीलामी में भाग नहीं ले सकेंगे।

5- ऑनलाईन निविदा दिनांक 28.02.2024 को अपरान्ह 12:00 बजे तक ऑनलाईन के माध्यम से तथा दिनांक 28.02.2024 को अपरान्ह 01:00 बजे तक कार्यालय में रखे टैण्डर वाक्स में अपनी टेक्निकल निविदा को डालें जाने एवम् तद्दिनांक को सायं 02:00 बजे निविदा गठित समिति एवं निविदा दाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

6- टैण्डर शुल्क सभी टेकों में अंकन 1298/- ₹० (जी०एस०टी० सहित) देय होगा।

प्रभारी अधिकारी (सम्पत्ति)  
नगर निगम सहारनपुर।

अपर नगर आयुक्त  
नगर निगम सहारनपुर।

मा० महापौर महोदय की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-नगर आयुक्त महोदय के आदेश दिनांक 20.02.2024 के अनुक्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2-प्रभारी निरीक्षक, थाना कोतवाली कुतुबशेर को उपरोक्त तिथि में पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु।

3-प्रभारी मीडिया, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निविदा सूचना का प्रकाशन (सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश तथा विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृति दरों पर) रोस्टर के अनुसार दो समाचार पत्र दैनिक जागरण एवं दैनिक जनवाणी पत्र में कम से कम स्पेस में, नौ फांट में, प्रकाशित कर, बिल 3 प्रतियों सहित भुगतान हेतु प्रस्तुत करें। यदि आपके समाचार पत्र द्वारा उक्त निर्देश का उल्लंघन किया जाता है, तो आपके बिल से कटौती कर भुगतान किया जायेगा, अथवा बिल का भुगतान बाधित किया जा सकता है। जिस हेतु कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

4-रिकार्ड कीपर को नीलाम की व्यवस्था कराने हेतु।

5-नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

अपर नगर आयुक्त  
नगर निगम सहारनपुर

## कार्यालय नगर निगम सहारनपुर।

वित्तीय वर्ष 2024-25 तक के लिये ठेका पशु मण्डी कमेला रोड हेतु ई-निविदा हेतु शर्तें

- 1-ठेके की निमित्त जमानत राशि की एफ0डी0आर0 जो लेखाधिकारी, नगर निगम, सहारनपुर के नाम बन्धक होगी, जमा करनी होगी।
  - 2-जमानत राशि सम्पूर्ण ठेका अवधि तक बन्धक रहेगी तथा टैण्डर शर्तों के अनुसार ठेका सम्पन्न करते रहने पर ठेका अवधि के पश्चात ठेकेदार को वापस कर दी जायेगी। जमानत राशि का समायोजन ठेका राशि में नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति/फर्म की कोई धनराशि ठेका राशि में समायोजित नहीं की जायेगी। नगर निगम का कोई बकायेदार बिना बकाया राशि जमा कराये टैण्डर में भाग नहीं ले सकेगा। ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार/बोलीदाता टैण्डर में किसी भी दशा में भाग नहीं ले सकता है।
  - 3-यह कि ठेका स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने के 03 दिन के अन्दर ठेकेदार को अपनी निविदा की 50 प्रतिशत धनराशि जमा करने व अनुबन्ध निष्पादन के बाद ही कार्यादेश जारी हो सकेगा, शेष धनराशि अप्रैल 2024 में जमा करनी होगी, यदि ठेकेदार ऐसा नहीं करता है, तो जमानत राशि सहित समस्त जमा धनराशि जब्त कर पुनः निविदा आमंत्रित की जा सकेगी।
  - 4- ठेका मृत पशु शव निस्तारण पशु स्वच्छेदन सहकारी समिति के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति भी प्रतिभाग कर सकता है, एव इस ठेके हेतु एकल निविदा को भी स्वीकार किया जायेगा।
  - 5--यदि निविदादाता उक्त अवधि में धनराशि जमा नहीं करता है, तो उसकी जमानत राशि व जमा धनराशि जब्त कर पुनः निविदा आमंत्रित की जा सकेगी, जिसके लिये निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा।
  - 6-ठेके की किसी भी शर्त के उल्लंघन पर जमानत राशि जब्त करने, जमा धनराशि सहित जमानत राशि जब्त करने, जुर्माना करने, धनराशि जब्त कर ठेका निरस्त करने तथा शर्तों के उल्लंघन पर ब्लैक लिस्टेड करने का अधिकार नगर आयुक्त को होगा।
  - 7-ठेके के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय नगर आयुक्त, नगर निगम सहारनपुर का होगा तथा ठेके स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम में निहित होगा। आवश्यकतानुसार शर्तों में संशोधन का अधिकार भी नगर आयुक्त नगर निगम में निहित होगा।
  - 8-ठेके के निमित्त भारत सरकार /राज्य सरकार द्वारा कोई कर अधिरोपित होता है, तो ठेकेदार देने के लिए उत्तरदायी व पाबन्द होगा। जिन ठेकों पर सेवा कर लागू होगा ठेकेदार ठेके की धनराशि के साथ-साथ देने के लिये बाध्य होगा। निगम ठेके के निमित्त कोई कर देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
  - 9-यदि ठेका स्थल में नगर निगम/नगर आयुक्त द्वारा कोई परिवर्तन किया जाता है, तो ठेकेदार परिवर्तित स्थल पर ठेके की शर्तों एवं अनुबन्ध के अनुसार ठेका चलाने हेतु आबद्ध रहेगी।
  - 10- ठेकेदार ठेका स्थल पर 3X3 वर्ग फीट का एक बोर्ड स्थापित करेगा, जिस पर ठेकेदार का नाम, ठेके की अवधि व लिये जाने वाले शुल्क/दर का विवरण अंकित करेगा। ऐसा न करने पर उसे अवैध कृत्य/शर्तों का गंभीर उल्लंघन मानते हुये ठेका निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी। ठेका स्थल पर अतिक्रमण कर यातायात बाधित नहीं किया जायेगा।
  - 11-यह कि प्रथम पक्ष किसी व्यक्ति को ठेका सबलेट नहीं करेगा। यदि इस प्रकार का तथ्य संज्ञान में आने पर ठेका निरस्त कर सभी धनराशि जब्त कर ली जायेगी, और ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
  - 12- किसी वाद-विवाद के उत्पन्न होने की स्थिति में वाद क्षेत्र सहारनपुर स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय ही होगा।
  - 13- निविदा में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र लगाना होगा।
  - 14- ठेका मृत पशु शव निस्तारण हेतु निम्नवत् शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- अ- यह कि ठेकेदार को मृत पशुओं जिनका निस्तारण ठेकेदार द्वारा किया गया है, उनका सम्पूर्ण ब्यौरा/विवरण रखना होगा जैसे:- मृत पशु की सूचना देने वाले का नाम, मोबाईल न0, पता आदि। इसके अतिरिक्त मृत पशु किस स्थान से उठाया गया और चर्म निष्कासन के उपरान्त मृत पशु के शव का निस्तारण किस स्थान पर किया गया।

ब- यह कि टेकेदार को पशु शव-विच्छेदन का कार्य जिस स्थान पर किया जा रहा है, उस पर बोर्ड लगाना होगा, जिस पर सम्पूर्ण विवरण, टेका अवधि, टेकेदार का नाम, अंकित करना होगा। जिस पशु का शव-विच्छेदन किया जा रहा है, उसका सम्पूर्ण विवरण पंजीका में दर्ज करना होगा, जैसे- गृत पशु की अनुमानित उम्र, वंश, उसके पूर्व स्वामी का नाम व पता मोबाईल नम्बर सहित। मृत पशु का कब और कहां से लाया गया, और उसके शव का निस्तारण किस स्थान पर किया गया।

स- यह कि टेकेदार द्वारा गौवंशीय के मृत पशुओं के अतिरिक्त सभी मृत पशुओं का निस्तारण करने का का दायित्व होगा। मृत पशुओं के शव विच्छेदन हेतु स्थल निर्धारित होगा, उसके अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर शव विच्छेदन नहीं किया जायेगा।

द- यह कि टेकेदार द्वारा मृत पशुओं से प्राप्त उनके शव के मूल्यवान अवशेष जैसे- चमड़ा, सींग, खुर आदि रखने हेतु एक गोदाम बनाना होगा, जो ऐसे स्थान पर होगा, जिससे जनसामान्य को गोदाम से आने वाली दुर्गन्ध से परेशानी न हो, साथ ही चमड़ा गोदाम हेतु नगर निगम के लाईसेंस विभाग से लाईसेंस प्राप्त करना होगा।

य- यह कि टेकेदार को पशु शव-विच्छेदन के बाद मूल्यवान उत्पादों का विक्रय किस नगर/स्थान में किस संस्था/व्यक्ति को किया जा रहा है, उसका विवरण रखना होगा, तथा जिस व्यक्ति/संस्था का यह विक्रय किया जा रहा है, उसके पास इस हेतु लाईसेंस होना अनिवार्य है, इसका उत्तरदायित्व टेकेदार का होगा।

व- यह कि कार्य स्थल पर समुचित सफाई व्यवस्था टेकेदार को रखनी होगी, पशु शव-विच्छेदन स्थल तक शव को ढक कर लाया जायेगा, और विच्छेदन के उपरान्त शव का निस्तारण करने हेतु बन्द गाडी में जो लिकेज प्रूफ हो में ले जाना होगा।


र- यह कि नगर निगम सहारनपुर के अधिकारी, पशु पालन विभाग के अधिकारी, जिला प्रशासन व पुलिस के अधिकारी यदि स्थल का निरीक्षण करते हैं, तो उन्हें उक्त सभी रिकॉर्ड अवलोकन कराने का उत्तरदायित्व टेकेदार का होगा।


15- प्रत्येक टेका की टैण्डर प्रक्रिया में भाग लेने के लिये निर्धारित जमानत धनराशि, आधार कार्ड, पैन कार्ड, चरित्र प्रमाण पत्र, जी0एस0टी0 नम्बर/रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं एक शपथ पत्र इस आशय का कि निविदादाता किसी भी संस्था से ब्लैक लिस्टेड नहीं है, और नगर निगम सहारनपुर का बकायेदार नहीं है, उक्त अभिलेख अपनी निविदा के साथ ऑनलाईन कर निविदा बॉक्स में स्व:प्रमाणित प्रति सील बन्द लिफाफे में डालनी होगी, अन्यथा की दशा में टेका टैण्डर स्वीकार्य नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति/फर्म ऑनलाईन निविदा डालता है, और टैण्डर बॉक्स में अपना सील बन्द लिफाफा नहीं डालता है, तो समिति को ऐसे व्यक्ति पर जुर्माना करने अथवा फर्म को ब्लैक लिस्टेड करने की संस्तुति करने का अधिकार होगा।

16- यह कि उक्त टेके से सम्बन्धित किसी भी तरह का बकाया रह जाने पर समस्त जमा धनराशि व जमानत धनराशि सहित जवाब कर अवशेष धनराशि को बकाया भू-राजस्व की भांति वसूल किया जा सकेगा।

17- अनुबन्ध हेतु पर्याप्त मूल्य के स्टाम्प प्रस्तुत करने होंगे, स्टाम्प की कमी के लिये केवल टेकेदार उत्तरदायी होगा।

18- टैण्डर शुल्क अंकन 1298/- ₹00 (माल एवं सेवा कर सहित) देय होगा। होगा।

  
प्रभारी अधिकारी (सम्पत्ति)  
नगर निगम सहारनपुर

  
अपर नगर आयुक्त  
नगर निगम सहारनपुर